

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सेशन प्रकरण संख्या: 169/2025 अनवान राज्य बनाम धर्मेन्द्र उर्फ विजय व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	--

दिनांक:- 16.09.2025

लोक अभियोजक उपस्थित।

धर्मेन्द्र उर्फ विजय, दीपक उर्फ दीपू व मनोज सिंह उर्फ गोलू
बरजमानत अनुपस्थित, की हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश किए जाने
पर स्वीकार की जाती है

अभियुक्त बुधराज न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित।

अभियुक्त रवि भोई उर्फ रविन्द्र प्रोडक्शन वारण्ट से जरिये वी.सी.
उपस्थित।

गवाह प्रभात कुमार, नॉडल ऑफिसर के पूर्ण बयान जरिये वी.सी.
पीडबल्यू 21 के रूप में लेखबद्ध किए गए तथा गवाह नरेन्द्र कुमार
पारिक के मुख्य परीक्षण जरिये वी.सी. पी.डबल्यू 22 के रूप में लेखबद्ध
किए गए जो न्यायालय समय तंग होने की वजह से अधूरे रहे।
अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने जाहिर किया की गवाह नरेन्द्र कुमार
पारिक प्रकरण का अनुसंधानाधिकारी है एवं गवाह को आगामी पेशी पर
व्यक्तिगत बुलाए जाने हेतु निवेदन किया। अतः अधिवक्तागण
अभियुक्तगण के निवेदन पर गवाह नरेन्द्र कुमार पारिक को आगामी पेशी
पर व्यक्तिगत बुलाए जाने हेतु जमानती वारण्ट तादादी रूपए 2,000/-
जारी किया जाए। तामील पर नोट अंकित किया जाए कि गवाह आगामी
पेशी पर माल के साथ उपस्थित आए। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन
गवाह नरेन्द्र कुमार पारिक हेतु दिनांक 23.09.2025 को पेश हो तब तक
अभियुक्त बुधराज की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढ़ाई जाती है।

न्यायाधीश
बाल न्यायालय, कोटा
(सेशन न्यायाधीश, कोटा)

Budhraj